[17/3/2023]

परिशिष्ट "37"

प्रश्न सं. [क्र. 2882]

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
सामान्य प्रशासन विभाग
स्थाई आदेश क्र0 01/2011

नगर निगम सीमा क्षेत्र में नगर निगम को हस्तान्तरित/स्वामित्व की कॉलोनियों में खुलीभूमि/मैदान का उपयोग क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा वैवाहिक/सामाजिक /सांस्कृतिक/धार्मिक आदि कार्यों के लिए किया जाता है और इन मैदानों का रखरखाव तथा सफाई आदि की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में इन सभी स्थलों के लिए दरों का निर्धारण एवं जिन स्थलों के लिए पूर्व से दर निर्धारित है और दीर्घ अवधि से उसमें वृद्धि नहीं की गई है, उन दरों का पुनरीक्षण उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित दरों पर निगम सम्मिलन संकल्प क्र0 05 दि0 31/01/2011 अनुसार दरें निम्नानुसार स्वीकृत की गई है, जोकि तत्काल प्रभाव से लागू जाती हैं :-

क्र0	स्थल का नाम	प्रयोजन	किराया प्रतिदिन
1	न्यू मार्केट दशहरा मैदान	1. वैवाहिक/सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/निजी	10,000/-
		2. व्यवसायिक	20,000/-
2	यादगार शाहजहानी पार्क के पीछे वाला मैदान	1. वैवाहिक/सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/निजी	2,000/-
		2. व्यवसायिक	8,000/-
3	श्यामला हिल्स स्थित गेस्ट हाउस के सामने का मैदान	वैवाहिक/सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/निजी	6,500/-
4	परिपार्क, मैदान ईदगाह हिल्स भोपाल	वैवाहिक/सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/निजी	2,000/-
5	इकबाल मैदान	सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनैतिक	1500/-
6.	नगर निगम को हस्तान्तरित समस्त कॉलोनियों में संलग्न खुली भूमि/मैदान	सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनैतिक	2,000/-

2. कम्यूनिटी हॉल

क्र0	जोन क्र0	स्थल का नाम	किराया प्रतिदिन
1	2	शकीला बानो, फतेहगढ़, कम्युनिटी हॉल	800/-
2	3	नारियलखेड़ा, कम्युनिटी हॉल	200/-
3	4	1. बाल विहार, कम्युनिटी हॉल	200/-
4		2. पुराना कबाड़खाना, कम्युनिटी हॉल	800/-

विभाग अधिकारी
प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

उपयंत्री

5	5	1. चौबदारपुरा, कम्युनिटी हॉल	700/-
6		2. प्रोफेसर कॉलोनी, कम्युनिटी हॉल	700/-
7	6	1. कोटरा सुल्तानाबाद, कम्युनिटी हॉल	700/-
8		2. शास्त्री नगर, कम्युनिटी हॉल	700/-
9	7	सरस्वती नगर, नियर माता मंदिर कम्युनिटी हॉल	700/-
10		जहांगीराबाद, कम्युनिटी हॉल	700/-
11	8	1. न्यू सुभाष नगर, कम्युनिटी हॉल	1100/-
12		2. ओल्ड सुभाष नगर, कम्युनिटी हॉल	500/-
13	13	सोनागिरी, कम्युनिटी हॉल	1000/-

– शकीला बानो कम्युनिटी हॉल की बुकिंग आगामी निर्देश तक न की जावे, परन्तु आगामी एक माह तक की पूर्व बुकिंग कार्यक्रमों को अनुमति दी जावे। यदि आगामी एक माह से अधिक की बुकिंग है, तो उसे नियानुसार निरस्त की जावे।

अतएव तदानुसार पुनरीक्षित दर, से वसूली हेतु कार्यवाही की जावे।

3. आवंटन की शर्तें एवं प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

1. दशहरा मैदान/ श्यामला हिल्स स्थित गेस्ट हाउस के सामने का मैदान/यादगार शाहजहानी पार्क के पीछे वाला मैदान के आवंटन हेतु आवेदन 5000/– रू. धरोहर राशि के साथ तथा शेष मैदान के लिए निर्धारित राशि आयोजन तिथि के 15 दिन पूर्व संबंधित जोन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. आवंटन स्वीकृति की सूचना पर संपूर्ण राशि अग्रिम जमा करायी जावेगी।
3. मैदान पर किसी भी प्रकार कोई स्थायी संरचना नही की जावेगी।
4. मैदान जहां जैसा कि स्थिति में सौंपा जावेगा, इसमें किसी प्रकार का विकास कार्य निगम द्वारा नहीं किया जावेगा।
5. आवश्यक विद्युत कनेक्शन आंवटिती को स्वयं लेना होगा तथा देयकों का भुगतान भी स्वयं करना होगा।
6. मैदान/कम्यूनिटी हॉल के आवंटन का अधिकार संबंधित जोनल अधिकारी का होगा।
7. आंवटन सुनिश्चित हो जाने के बाद यदि किसी अपरिहार्य कारणों से आयोजन रद्द होता है तब ऐसी दशा में जमा राशि का 25 प्रतिशत निगम हित में अभिग्रहीत कर शेष राशि वापसी योग्य होगी।
8. मैदान आवंटन 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जावेगा। अवधि समाप्त होने पर तत्काल मैदान को रिक्त करने की जिम्मेदारी आंवटिती की होगी।
9. मैदान की साफ–सफाई की संपूर्ण व्यवस्था आवंटिती को करना होगी।
10. राजनैतिक प्रयोजन हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।

आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल के पास बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
विकास एवं पर्यावरण विभाग

आयुक्त
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठांकन क्रं0..15......./सा0प्र0वि0/2011 भोपाल दि0 10/03/2011

प्रतिलिपिः—

1. मान0 महापौर/अध्यक्ष महोदय की ओर निज सहा0 के माध्यम से सूचनार्थ।
2. मान0 नेता प्रतिपक्ष
3. प्रभारी राजस्व/बाजार सदस्य मेयर इन कौन्सिल
4. अपर आयुक्त
5. उप संचालक (वित्त)
6. सहा0 संचालक, आवासीय संपरीक्षा नगर निगम भोपाल
7. उपायुक्त (राजस्व/संपत्तिकर)
8. जनसंपर्क अधिकारी
9. समस्त विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी/प्रभारी जोन/जोनल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R.O.

आयुक्त
नगर निगम, भोपाल

उपमंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग